न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 103 / 2022(2022 / 332)

1. श्री भगवान पुत्र श्री जमना।
2. श्रीमति सीता पत्नी भगवान समस्त जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति राधा पत्नी श्री हुक्मा जाति धाकड़ निवासी नासीरदा तहसील देवली जिला टोंक।
2. श्री कजोडमल पुत्र श्री सूरजमल जाति धाकड़ निवासी आनन्दपुरा जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्री कल्याण पुत्र श्री लोमा जाति माली।
4. श्री छगना पुत्र श्री लोमा।
5. श्री छोटू पुत्र श्री लोमा।
6. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री रामपाल।
7. श्री भैरू पुत्र श्री लोमा।
8. श्री भूरा पुत्र श्री चन्द्रा।
9. श्री मनीराम पुत्र लोमा।
10. श्री श्योजीराम पुत्र रामपाल।
11. श्रीमति सजनी पत्नी लोमा समस्त जाति माली निवासीगण लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 16.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073–76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकवा (है.)	किस्म
331–283	2317 / 1338 2333 / 1338	0.32 1.16	बारानी 2 बारानी 2
	कुल किता 2	कुल रकवा 1.48	
167–177	2311 / 1338	1.62	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकवा 1.62	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

640–640	2312/1338	1.62	बारानी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.62	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण सर्व प्रथम दिनांक 31.5.2022 एवं उसके पश्चात् दिन प्रतिदिन उपस्थित हो रहा है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 27.1.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढ़ी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोंज तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 331–283 के खसरा संख्या 2317/1338, 2333/1338 रकबा 0.32, 1.16हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.48हैक्टर, खाता संख्या नया–पुरानाा 167–177, खसरा संख्या 2311/1338 रकबा 1.62हैक्टर खाता संख्या नया–पुराना 640–640 के खसरा संख्या 2312/1338 के रकबा 1.62हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner